न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
98/2025	30.05.2025	30.10.2025

अनवान

1. मदनलाल पिता टोलु जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. कस्तुरी पत्नी हंसराज जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. छगन पुत्र टोलु जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. मांगीबाई पत्नी टोलु जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. रतनलाल पुत्र टोलु जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. मृतक रामेश्वरलाल पुत्र टोलु जाट के बजाय–
   सीमा पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. सोहनी (सोवनी) पुत्री हंसराज जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. भैरूलाल पुत्र नारायण जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. भैरूलाल पुत्र वेणीराम जाति सुथार आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. गेरू पुत्र कालु जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. मृतक प्यारी पुत्री हंसराज जाट के बजाय–
    रतन माता प्यारी जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायणी पुत्री भुरा जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. किशनलाल पिता छगन जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. झुमा बाई पत्नी छगन जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. माधुलाल पिता प्यारा जाति जाट आयु बालिग निवासी तरनावों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री रामलाल राव — प्रार्थीगण

एकतरफा — अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन -जिला-चित्तौडगढ

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तरनावों का खेड़ा पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 126 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 392 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5100 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 198 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 394 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0700 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 199 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 391 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1700 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 30.10.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर—बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा तरनावों का खेड़ा पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 126 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 392 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5100 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 198 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 394 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0700 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 199 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 391 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1700 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 पाण्डोली को 1000/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
कपासन-चित्तौड़गढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़